स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2013

- विदेशी मामलों संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयरपर्सनः अनंत कुमार) ने 17 दिसंबर, 2013 को नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2013 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह बिल विदेशी मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा 26 अगस्त, 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया और तत्पश्चात कमिटी के पास विचारार्थ भेजा गया। बिल नालंदा विश्वविद्यालय एक्ट, 2010 में संशोधन का प्रयास करता है।

- यह एक्ट दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। बिल एक्ट के तहत स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय की शासन संरचना में सुधार का प्रयास करता है और उसकी शीघ्र स्थापना में मदद करता है।

- स्टैंडिंग कमिटी ने बिल में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया और कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। कमिटी ने सुझाव दिया कि नई पहल में नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन परंपराओं (छठी से 12 वीं शताब्दी के दौरान) को शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। एक्ट के क्रियान्वयन के संबंध में कमिटी ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना में विलंब हो गया है। उसने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को लघु, मध्य और दीर्घावधि की गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए और कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए।

- **शासन संरचनाः** बिल कहता है कि विश्वविद्यालय के शासकीय बोर्ड में निम्नलिखित शामिल किए जाएंगेः (i) पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के पांच सदस्य देशों द्वारा एक-एक सदस्य यानी कुल पांच सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, (ii) शासकीय बोर्ड के सदस्यों द्वारा पांच प्रख्यात व्यक्तियों की सिफारिश की जाएगी, और (iii) शैक्षणिक फैकेल्टी से दो सदस्यों को लिया जाएगा। विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बोर्ड का सचिव होगा।

- कमिटी ने सुझाव दिया कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों के दो प्रतिनिधियों को बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए जिससे बोर्ड को विश्वव्यापी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त पांच प्रख्यात व्यक्तियों में से तीन प्रख्यात शिक्षाविद होने चाहिए और बाकी के दो किसी और क्षेत्रों से। इनमें से प्रत्येक सदस्य की गतिविधि के क्षेत्र का उल्लेख एक्ट में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय परंपरा के मद्देनजर, वाइस चांसलर को बोर्ड का सचिव बनाया जाना चाहिए।

- **वित्तीय संसाधनः** बिल कहता है कि केंद्र सरकार विश्वविद्यालय के पूंजीगत और आवर्ती व्यय को पूरा कर सकती है। कमिटी ने इस प्रावधान को अनुमोदित किया है लेकिन सुझाव दिया है कि सरकार को राजस्व के अन्य संभावित स्रोतों से संसाधन संचित करने के प्रयास भी जारी रखने चाहिए। इस संबंध में एक्ट को अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समिति और निधि कमिटी के गठन का प्रावधान करना चाहिए जिन पर संसाधनों को एकजुट करने की जिम्मेदारी होगी।

- इसके अतिरिक्त बिल और एक्ट स्पष्ट करते हैं कि विश्वविद्यालय फंड उधार ले सकता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि कानून में उधार के विशिष्ट स्रोतों का उल्लेख होना चाहिए।

- **विशेषाधिकार या प्रतिरक्षणः** बिल कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक्ट, 2010 के लागू होने की तारीख से विश्वविद्यालय को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षण) एक्ट, 1947 के तहत विशेषाधिकार और प्रतिरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ये विशेषाधिकार और प्रतिरक्षण कानूनी प्रक्रियाओं, वित्तीय नियंत्रणों, कर आदि से संबंधित हैं। जैसा कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2013 के समझौते में विश्वविद्यालय को विशेषाधिकार और प्रतिरक्षण देने पर सहमति जताई है, कमिटी ने सुझाव दिया है कि इस प्रावधान को समझौते की तारीख से लागू होना चाहिए (एक्ट के लागू होने की तारीख से नहीं)।

अन्विति चतुर्वेदी
anviti@prsindia.org

10 नवंबर, 2015

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।